

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त... मुकाम.....

पप्पू बनाम तहसीलदार पीपलू

दिनांक 26 सित 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07/03/25 पत्रावली पेश हुई। उग्रपक्ष अधिवक्ता उप।
पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र 07 R.11 गत आदेशिका की पालना में 100% cost राशि पर न्यायद्वि में अंतिम अक्सर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23.04.2025 को पेश हो। *Ami*

31/4/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/पत्रावली उपास्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली तल आवेशिका अनुसार दिनांक 31.5.25.....पेश हो।
Ram

9/5/25 पत्रावली पेश हुई। उग्रपक्ष अधिवक्ता उपस्थित 100% cost पर न्याय द्वि में अंतिम अक्सर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-5-25 को पेश हो। *Ami*

13/05/25 पत्रावली पेश हुई। उग्रपक्ष अधिवक्ता उप। अधिवक्ता वादी ने प्राथमिक पत्र बाद वादी बिद्दो किसे जाने बाबत प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त प्रकरण की वादी तकनीकी कस्को से आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः नबीद बाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर बाद पत्र को बिद्दो किसे जाने का आदेश प्रदान करे।
उप खण्ड अधिकारी
पीपल (टॉक)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पुस्तकें प्राप्त व वादपत्र का अबलोकन किया जाकर नवीन वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद वादी विशेष किया जाता है। पत्रावली निर्णित क्रमांक होकर दफ्तर दायिम हो एवं नियमानुसार नम्बर से क्रम है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)